

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
ट्रान्सपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून।
अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सील हेतु आदेश

पत्रांक : 2976 वाद संख्या सी-0840/ सैक्टर-1/2025

दिनांक: 20-12-2025

श्री सियाराम,
ब्राह्मणवाला चौक,
हरिद्वार वाईपास रोड,
देहरादून।

कृपया आपके द्वारा बिना मानचित्र स्वकृति के 05 दुकानों की नीव भराई का कार्य/निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 (1) एवं धारा-28 (1) के अधीन नोटिस जारी कर वाद संख्या सी-0840/एस-1/2025 योजित किया गया। जिसमें दिनांक 08.12.2025 की सुनवाई की तिथि नियत थी। नियत तिथि में आप अनुपस्थित रहे और कोई जबाव भी दाखिल नहीं किया गया। दिनांक 15.12.2025 की सुनवाई में आपके द्वारा सन्तोषजनक जबाव नहीं दिया गया है। आप जानबूझकर वाद को लम्बित रखना चाहते हैं। जो न्यायहित में नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकनोपरान्त अवैध निर्माण/विकास कार्य पर अंकुश लगाने हेतु चालानशुदा निर्माण के सील करने के आदेश पारित करने का विकल्प ही शेष रह जाता है।

आदेश

विपक्षी श्री सियाराम, ब्राह्मणवाला चौक, हरिद्वार वाईपास रोड, देहरादून द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के 05 दुकानों की नीव भराई का कार्य/निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 (1) एवं धारा-28 (1) के अधीन नोटिस जारी कर वाद संख्या सी-0840/एस-1/2025 योजित किया गया। जिसमें दिनांक 08.12.2025 की सुनवाई की तिथि नियत थी। नियत तिथि में विपक्षी अनुपस्थित रहे और कोई जबाव भी दाखिल नहीं किया गया। दिनांक 15.12.2025 की सुनवाई में विपक्षी द्वारा सन्तोषजनक जबाव नहीं दिया गया है। विपक्षी जानबूझकर वाद को लम्बित रखना चाहते हैं। जो न्यायहित में नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में चालान शुदा निर्माण पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक हो गया है। तदनुसार चालान शुदा अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार सुसंगत धारा 28 (क) के अधीन सील के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत निर्माण परिसर को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 26-12-25 को सील किया जाना है।

Signature



विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हो, विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होने दें। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय।


संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि- 1—वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि निर्माण को सील करने की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

2—नायब तहसीलदार, देहरादून को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र०) देहरादून के पत्र संख्या 1205/विविध—जेए /2024 दिनांक 07.01.2024 द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग के दौरान चयनित स्थल पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामित किया गया है। कृपया उक्त तिथि को सीलिंग कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें।

3—सम्बन्धित थानाध्यक्ष, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4—सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि वह निर्धारित तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को सील करने की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

5—नाजिर को इस निर्देश के साथ कि उक्त दिनांक को सील से सम्बन्धित समस्त सामग्री को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

